

श्रीमान् उप आवासन आयुक्त, आवासीय अभियन्ता, वृत्त / खण्ड—..... राजस्थान आवासन मण्डल,

विषयः—आवासीय भूखण्ड / प्लिन्थ स्तर के आवास संख्या / व्यावसायिक भूखण्ड संख्या योजना की निर्माण अवधि बढ़ाने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मुझे आवासीय भूखण्ड / प्लिन्थ स्तर का आवास संख्या / व्यावसायिक भूखण्ड संख्या योजना दिनांक को आवंटित किया गया है। जिसका मेरे द्वारा दिनांक को भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। अपरिहार्य कारणों से मैं आज दिनांक तक निर्माण कार्य नहीं करवाया पाया हूं।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मण्डल द्वारा मुझे आवंटित आवासीय भूखण्ड/प्लिन्थ स्तर का आवास संख्या/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या की निर्माण अवधि बढ़ाने का श्रम करें। मैं, मण्डल नियमानुसार देय राशि जमा कराने को सहमत हूं।

भवदीय,

()
नाम—	
पता—	

संलग्नः–

- 1- आवासीय भूखण्ड / प्लिन्थ स्तर के आवास संख्या / व्यावसायिक भूखण्ड का आवंटन पत्र की स्व सत्यापित छायां प्रति।
- 2- भौतिक कब्जा प्राप्त करने के प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायां प्रति।
- 3– पहचान पत्र की स्व सत्यापित छायां प्रति।